

'रोड चौड़ी करना समय की मांग, लेकिन व्यक्ति के अधिकार भी नहीं हो प्रभावित'

मामला सिरसी रोड से क्वीन्ज़ रोड तक जा रही सड़क को चौड़ा करने की मांग से है

जयपुर। जेडीए अपीलीय अधिकरण ने सिरसी रोड से क्वीन्ज़ रोड तक जा रही सड़क को चौड़ा करने से जुड़े मामले में कहा है कि वाहनों के बढ़ते दबाव, शहर के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए रोड को मास्टर प्लान के अनुसार चौड़ा करना समय की मांग है। लेकिन, इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी व्यक्ति के साम्पत्तिक अधिकार विपरीत रूप से प्रभावित नहीं हो।

अधिकरण ने कहा कि अतिक्रमी किसी अनुतोष के अधिकारी नहीं है, लेकिन वैध दस्तावेजों से काबिज व्यक्ति को उसे अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता और इसे सुनिश्चित करने का दायित्व जेडीए जैसी संस्था को है। इसके साथ ही अधिकरण ने मामले में जेडीए की ओर से जारी नोटिस को निरस्त करने से इनकार करते हुए अपीलार्थियों को कहा है कि वह ग्राम पंचायत के पट्टे व अन्य दस्तावेजों के साथ पन्द्रह दिन में जेडीए के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करें। जेडीए यदि अपीलार्थियों के स्वामित्व को माने तो उनके मुआवजे का निर्धारण किया जाए। वहीं यदि उनके अभ्यावेदन को निरस्त किया जाता है तो अपीलार्थियों को सूचित

- जेडीए की ओर से जारी नोटिस को निरस्त करने से इनकार करते हुए अपीलार्थियों को कहा है कि वह ग्राम पंचायत के पट्टे व अन्य दस्तावेजों के साथ पन्द्रह दिन में जेडीए के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करें

- जे.डी.ए.के वकील अमित कुडी द्वारा अदालत को बताया गया कि उक्त सड़क पर 274 अतिक्रमणों को हटाया जा चुका है और केवल 32 दुकानें हैं, जहां पर कार्रवाई नहीं की गई है

करने के पन्द्रह दिन बाद अग्रिम कार्रवाई की जा सकती है। पीठासीन अधिकारी राजेश ने यह आदेश बच्चू सिंह व अन्य की ओर से पेश अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।

अपील में कहा गया कि जेडीए ने गत 28 नवंबर को उन्हें जेडीए अधिनियम की धारा 72 के तहत नोटिस देकर दुकानों को रोड पर बनाना बताकर उन्हें हटाने की बात कही है, जबकि साल 1960 में ग्राम पंचायत कोर्ट झोटवाडा ने इस जमीन के पट्टे जारी किए थे और तब से अपीलार्थी यहां काबिज है। यहां स्थित रोड पूर्व में सौ फीट चौड़ी थी। वहीं मास्टर प्लान में इसे 160 फीट किया गया। अपील में कहा गया कि सिर्फ मास्टर प्लान में प्रस्तावित किए जाने

से जमीन का स्वामित्व जेडीए का नहीं हो जाता है। दूसरी ओर जेडीए की ओर से अधिवक्त अमित कुडी ने कहा कि संबंधित पट्टा जाली है। वहीं उनका पंजीकरण भी नहीं कराया गया है। मास्टर प्लान में इस रोड को 160 फीट करते समय आमजन से आपत्तियां मांगी गई थी, लेकिन अपीलार्थी ने कोई आपत्ति नहीं दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अधिकरण दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

उल्लेखनीय है कि 25 मई 2025 को इस मामले से जुड़ी एक अपील पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह और न्यायाधीश आनंद शर्मा ने सुनवाई के दौरान जे.डी.ए. अपिलेट टिब्यूनल को कहा है कि इस मामले

में जुड़ी कई याचिकाओं की जल्दी सुनवाई कर निस्तारण करें, क्योंकि इन मामलों में जेडीए की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगी है और जे.डी.ए. हाईकोर्ट द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सड़क चौड़ी करने की कार्रवाई को पुणतः अंजाम नहीं दे पा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने विजय कुमार बोयात द्वारा दायर अपील की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए।

अदालत ने जे.डी.ए.के वकील

अमित कुडी द्वारा अदालत को बताया

गया कि उक्त सड़क पर 274

अतिक्रमणों को हटाया जा चुका है

और केवल 32 दुकानें हैं, जहां पर

कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया

कि इन दुकानों के मालिको या

कब्जाधारियों ने जे.डी.ए अपिलेट

टिब्यूनल से यथा स्थिति बनाये

रखने के आदेश उनके हक में पारित

करवाये है।

अमित कुडी ने हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि कई मामलों में अंतरिम रोक लगने के कारण जे.डी.ए. कार्रवाई नहीं कर पा रही है जिस पर अदालत ने आदेश दिए हैं कि अपिलेट टिब्यूनल इन मामलो पर संभवतः अगली सुनवाई में ही निपटारा करें।

भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने विमान हादसे पर व्यक्त किया

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठीड़ एवं समस्त प्रदेश पदाधिकारियों ने अहमदाबाद के विमान हादसे में 265 निर्दोष लोगों की असामयिक मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राठीड़ ने कहा कि हादसे में 241 यात्रियों के साथ स्थानीय लोग भी शामिल हैं। विमान हादसे में राजस्थान की चार महिलाओं के साथ 3 बच्चों सहित 12 यात्रियों की मृत्यु हो गई। भारतीय जनता पार्टी दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ खड़ी है और यथासंभव सरकार के साथ पार्टी स्तर पर सहायता राशि शोकाकुल परिजनों को मुहैया करवाई जाएगी। राठीड़ ने इस दुखद हादसे में घायल हुए सभी व्यक्तियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

भाजपा प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने बताया कि हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपानी का भी निधन हुआ है, जो एक प्रखर राजनीतिज्ञ थे। रुपानी का राजस्थान से विशेष लगाव था, उनके निधन से भाजपा राजस्थान को एक गहरा आघात लगा है। रुपानी ने प्रदेश भाजपा के संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया और निष्ण्णता से कार्य

महिला प्रशासक को हटाने के आदेश पर रोक, मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत राज विभाग के गत 8 मई के उस आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत मियाडा के प्रशासक पद से हटा दिया था। इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख पंचायत सचिव व अतिरिक्त ग्रामीण विकास आयुक्त सहित अन्य से जवाब देने के लिए कहा है। अवकाशकालीन न्यायाधीश गणेश राम मीणा ने यह आदेश लवली यादव की याचिका पर दिया।

मामले से जुड़े अधिवक्ता अनुराग शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता बारां जिले की मियाडा ग्राम पंचायत में प्रशासक के पद पर कार्यरत थीं। पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त ने उसे सुनवाई का मौका दिए बिना ही गत 8 मई को आदेश जारी कर प्रशासक पद से हटा दिया। इसके पूर्व उसे न तो जांच की

- 8 मई के उस आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत मियाडा के प्रशासक पद से हटा दिया था

काँपी दी गई और ना ही सुनवाई का अवसर मिला। विभाग की यह कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के प्रावधानों के खिलाफ है।

इसलिए याचिकाकर्ता को प्रशासक पद से हटाए जाने वाले आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

हाल इंदिरा गांधी नगर खोह नागोरियान पर लेनदेन को लेकर फायरिंग करने के मामले में 23 वर्षीय अंकित मीना उर्फ सुक्का निवासी निवासी करौली से अवैध दो देशी कट्टे बरामद किए गए हैं। इससे पूर्व में पुलिस ने अभिषेक मीणा निवासी टोडाभीम जिला करौली हाल रामनगरिया जिला जयपुर और रोहितारा मीणा निवासी टोडाभीम जिला करौली को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपितों से अब तक तीन अवैध देशी कट्टे बरामद किए जा चुके हैं।

लाखों रुपए के जेवरात व नगदी लेकर भागा नौकर गिरफ्तार

जयपुर। रथाम नगर थाना इलाके में एक घरम मालिक ने घर में चोरी कर फरार हुए नौकर को ढाई साल बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि नौकर घर से लाखों रुपए के जेवरात व नगदी लेकर भागा था। ढाई साल तक पुलिस चोर के बारे में कोई सुराग नहीं जुटा पा। एक दिन अचानक पीड़ित दंपती की आरोपी घरेलू नौकर बाजार में घूमते मिल गया। दंपती ने नौकर को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया।

पुलिस के अनुसार निर्माण नगर स्थित गौतम मार्ग के रहने वाले 60 वर्षीय जुगलकिशोर शर्मा ने 27 अक्टूबर 2022 को पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था कि वह और

उसके परिवार वाले भाईदूज के पर्व पर अपनी बहन के घर गए हुए थे। घर पर नौकर था। जिसे कुछ दिनों पहले ही काम पर रखा था। शाम को जब लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ था। कमरों में अलमहारियों के गेट भी टूटे हुए थे और चोरों ने वहां से लाखों रुपए के जेवरात व नगदी चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित जुगल किशोर ने नौकर विष्णु पर चोरी का संदेह जताया। उनकी पत्नी इंदु शर्मा ने बताया कि जब विष्णु काम मांगने आया था। तब बहन वैरिफिकेशन नहीं कराया था। विष्णु ने पांच सात दिन तक घर में काम किया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की।

कांस्टेबल के सवा लाख रुपए पार किए

जयपुर। कालवाड़ थाना इलाके में सब्जी खरीदने गए कांस्टेबल का किसी ने मोबाइल पार कर लिया और फिर उसके खाते से ऑनलाइन 1.21 लाख रुपए पार लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

पुलिस के अनुसार राधा बिहार पीथावास निवासी कांस्टेबल गोपाल लाल ने मामला दर्ज करवाया कि वह रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात है। वह 4 जून की शाम सब्जी लेने बाजार गया था। वहां पर किसी ने उसका मोबाइल पार कर लिया। इसके बाद उसके मोबाइल से किसी ने ऑनलाइन खाते से किसी दूसरे खाते में रुपए ट्रान्सफर कर लिए गए। उसके खाते से कई बार में 1.21 लाख निकाले गए हैं। पीड़ित ने मोबाइल चोरी का मामला दर्ज करवाने के बाद दूसरी सिम चालू करवाई तो उसे खाते से रुपए निकाले जाने का पता चला। इस पर पीड़ित ने थाने पहुंच कर मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ए.जी.टी.एफ. की बड़ी कार्रवाई : दो करोड़ रुपये के 424 किलो गांजे के साथ पांच तस्कर गिरफ्तार



एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) की टीम ने चाकसू थाना क्षेत्र में एक ट्रक से 424 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार करवाया। वहीं इससे कुछ समय पहले एजीटीएफ टीम ने शिवदासपुरा टोल पर नाकाबंदी कर ट्रक को एस्कॉर्ट कर रही एक स्कॉर्पियो समेत गैंग के सरना सहित तीन जनों को पकड़ लिया था। जब्त किये गए मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। फिलहाल तस्करों से पूछताछ की जा रही है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं एंजीटीएफ) दिनेश एम एन ने बताया कि दवाइयों की आड़ में छत्तीसगढ़ से तस्करी कर जयपुर सप्लाय करने वाले मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले आरोपित सुमेर मीणा (48), नानागम बलवाई (55),नरेंद्र सिंह जाट (45) और दीपाक गुर्जर (38) निवासी खोरा बिसल,जयपुर के साथ-साथ हिमांशु माटा (29) निवासी करनल हरियाणा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से गांजे के साथ-साथ दो वाहन एक ट्रक और एक स्कॉर्पियो भी जब्त किए गए हैं।

एडीजी दिनेश एम एन ने बताया कि एजीटीएफ टीम को बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से जयपुर में गांजा तस्करी किए जाने की खुफिया सूचना मिली थी। इस सूचना को तकनीकी संसाधनों और गहन आसूचना संकलन के माध्यम से विकसित किया गया।

धोखाधडी के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार

जयपुर। विधायकपुरी थाना पुलिस,साइबर सेल दक्षिण और जैसलमेर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए धोखाधडी के मामले में फरार दस हजार रुपये के इनामी बदमाश को जैसलमेर से गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित के खिलाफ धोखाधडी के करीब दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। विधायकपुरी थाना पुलिस, साइबर सैल दक्षिण और जैसलमेर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए धोखाधडी के मामले में फरार दस हजार रुपये के इनामी बदमाश महेंद्र सिंह निवासी जैसलमेर को गिरफ्तार किया है अनिल कुमार ने अपनी आई – 20 गाड़ी बेचने के लिए ओएलएक्स पर एड डाला था।

अदालत ने जे.डी.ए.के वकील अमित कुडी द्वारा अदालत को बताया गया कि उक्त सड़क पर 274 अतिक्रमणों को हटाया जा चुका है और केवल 32 दुकानें हैं, जहां पर कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि इन दुकानों के मालिको या कब्जाधारियों ने जे.डी.ए अपिलेट टिब्यूनल से यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश उनके हक में पारित करवाये है।

अमित कुडी ने हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि कई मामलों में अंतरिम रोक लगने के कारण जे.डी.ए. कार्रवाई नहीं कर पा रही है जिस पर अदालत ने आदेश दिए हैं कि अपिलेट टिब्यूनल इन मामलो पर संभवतः अगली सुनवाई में ही निपटारा करें।

अमित कुडी ने हाईकोर्ट के

समक्ष सुनवाई के दौरान अदालत को

बताया कि कई मामलों में अंतरिम

रोक लगने के कारण जे.डी.ए.

कार्रवाई नहीं कर पा रही है जिस पर

अदालत ने आदेश दिए हैं कि अपिलेट

टिब्यूनल इन मामलो पर संभवतः

अगली सुनवाई में ही निपटारा करें।

अमित कुडी ने हाईकोर्ट के

समक्ष सुनवाई के दौरान अदालत को

बताया कि कई मामलों में अंतरिम

रोक लगने के कारण जे.डी.ए.

कार्रवाई नहीं कर पा रही है जिस पर

अदालत ने आदेश दिए हैं कि अपिलेट

टिब्यूनल इन मामलो पर संभवतः

अगली सुनवाई में ही निपटारा करें।

अमित कुडी ने हाईकोर्ट के

समक्ष सुनवाई के दौरान अदालत को

बताया कि कई मामलों में अंतरिम

रोक लगने के कारण जे.डी.ए.

कार्रवाई नहीं कर पा रही है जिस पर

अदालत ने आदेश दिए हैं कि अपिलेट

टिब्यूनल इन मामलो पर संभवतः

अगली सुनवाई में ही निपटारा करें।

अमित कुडी ने हाईकोर्ट के

समक्ष सुनवाई के दौरान अदालत को

बताया कि कई मामलों में अंतरिम

रोक लगने के कारण जे.डी.ए.

कार्रवाई नहीं कर पा रही है जिस पर

अदालत ने आदेश दिए हैं कि अपिलेट

टिब्यूनल इन मामलो पर संभवतः

अगली सुनवाई में ही निपटारा करें।

अमित कुडी ने हाईकोर्ट के

समक्ष सुनवाई के दौरान अदालत को

बताया कि कई मामलों में अंतरिम

रोक लगने के कारण जे.डी.ए.

कार्रवाई नहीं कर पा रही है जिस पर

अदालत ने आदेश दिए हैं कि अपिलेट

टिब्यूनल इन मामलो पर संभवतः

अगली सुनवाई में ही निपटारा करें।

अमित कुडी ने हाईकोर्ट के

समक्ष सुनवाई के दौरान अदालत को

बताया कि कई मामलों में अंतरिम

रोक लगने के कारण जे.डी.ए.

कार्रवाई नहीं कर पा रही है जिस पर

अदालत ने आदेश दिए हैं कि अपिलेट

टिब्यूनल इन मामलो पर संभवतः

अगली सुनवाई में ही निपटारा करें।

अमित कुडी ने हाईकोर्ट के

समक्ष सुनवाई के दौरान अदालत को

बताया कि कई मामलों में अंतरिम

रोक लगने के कारण जे.डी.ए.

कार्रवाई नहीं कर पा रही है जिस पर

अदालत ने आदेश दिए हैं कि अपिलेट

टिब्यूनल इन मामलो पर संभवतः

अगली सुनवाई में ही निपटारा करें।

अमित कुडी ने हाईकोर्ट के

समक्ष सुनवाई के दौरान अदालत को

बताया कि कई मामलों में अंतरिम

रोक लगने के कारण जे.डी.ए.

कार्रवाई नहीं कर पा रही है जिस पर

अदालत ने आदेश दिए हैं कि अपिलेट

टिब्यूनल इन मामलो पर संभवतः

अगली सुनवाई में ही निपटारा करें।

अमित कुडी ने हाईकोर्ट के

समक्ष सुनवाई के दौरान अदालत को

बताया कि कई मामलों में अंतरिम

रोक लगने के कारण जे.डी.ए.

कार्रवाई नहीं कर पा रही है जिस पर

अदालत ने आदेश दिए हैं कि अपिलेट

टिब्यूनल इन मामलो पर संभवतः

अगली सुनवाई में ही निपटारा करें।

अमित कुडी ने हाईकोर्ट के

समक्ष सुनवाई के दौरान अदालत को

बताया कि कई मामलों में अंतरिम

रोक लगने के कारण जे.डी.ए.

कार्रवाई नहीं कर पा रही है जिस पर

अदालत ने आदेश दिए हैं कि अपिलेट

टिब्यूनल इन मामलो पर संभवतः

अगली सुनवाई में ही निपटारा करें।

अमित कुडी ने हाईकोर्ट के

समक्ष सुनवाई के दौरान अदालत को

बताया कि कई मामलों में अंतरिम

रोक लगने के कारण जे.डी.ए.

कार्रवाई नहीं कर पा रही है जिस पर

अदालत ने आदेश दिए हैं कि अपिलेट

टिब्यूनल इन मामलो पर संभवतः

अगली सुनवाई में ही निपटारा करें।

अमित कुडी ने हाईकोर्ट के

समक्ष सुनवाई के दौरान अदालत को

बताया कि कई मामलों में अंतरिम

रोक लगने के कारण जे.डी.ए.

कार्रवाई नहीं कर पा रही है जिस पर

अदालत ने आदेश दिए हैं कि अपिलेट

टिब्यूनल इन मामलो पर संभवतः

अगली सुनवाई में ही निपटारा करें।

अमित कुडी ने हाईकोर्ट के

समक्ष सुनवाई के दौरान अदालत को

बताया कि कई मामलों में अंतरिम

रोक लगने के कारण जे.डी.ए.

कार्रवाई नहीं कर पा रही है जिस पर

अदालत ने आदेश दिए हैं कि अपिलेट

टिब्यूनल इन मामलो पर संभवतः

अगली सुनवाई में ही निपटारा करें।

अमित कुडी ने हाईकोर्ट के

समक्ष सुनवाई के दौरान अदालत को

बताया कि कई मामलों में अंतरिम

रोक लगने के कारण जे.डी.ए.

कार्रवाई नहीं कर पा रही है जिस पर

अदालत ने आदेश दिए हैं कि अपिलेट

टिब्यूनल इन मामलो पर संभवतः

अगली सुनवाई में ही निपटारा करें।

अमित कुडी ने हाईकोर्ट के

समक्ष सुनवाई के दौरान अदालत को

बताया कि कई मामलों में अंतरिम

रोक लगने के कारण जे.डी.ए.

कार्रवाई नहीं कर पा रही है जिस पर

अदालत ने आदेश दिए हैं कि अपिलेट

टिब्यूनल इन मामलो पर संभवतः

अगली सुनवाई में ही निपटारा करें।

अमित कुडी ने हाईकोर्ट के

समक्ष सुनवाई के दौरान अदालत को

बताया कि कई मामलों में अंतरिम

रोक लगने के कारण जे.डी.ए.

कार्रवाई नहीं कर पा रही है जिस पर

अदालत ने आदेश दिए हैं कि अपिलेट

टिब्यूनल इन मामलो पर संभवतः

अगली सुनवाई में ही निपटारा करें।

अमित कुडी ने हाईकोर्ट के

समक्ष सुनवाई के दौरान अदालत को